न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 130/2018

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1भेराराम 2रामकरण पुत्रान सादुलाराम जातियान जाट निवासीगण खारिया तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री जगदीश जांगू अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 22-07-2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 05/2018 सरकार बनाम भेराराम में निर्णय दिनांक 05.03.2018 के तहत मौजा खारिया के खसरा नं. 29 गै.मु. गोवा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.04.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 10.04.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। दौराने अपील प्रार्थी चम्पालाल व अन्य द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत पक्षकार बनाये जाने दिनांक 11.7.18 को प्रस्तुत किया गया। जो बाद सुनवाई दिनांक 12.9.18 को अस्वीकार किया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 05.03.18 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, नकल खतोनी की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, आरआई रिपोर्ट की फोटोप्रति तथा मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति पेश की गई। दौराने कार्यवाही प्रकरण मे तहसीलदार मुण्डवा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी जिन्होने दिनांक 25.6.19 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर पुनः टीम गठित कर नाप कराये जाने हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात टीम द्वारा नाप दिनांक 24.08.20 को किया जाकर नाप रिपोर्ट दिनांक 7.9.20 को प्रस्तुत हुई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–आदेश जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व बिना विधिक प्रक्रिय अपनाये, बिना सम्यक तामील करवाये पारित किये होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलांट को दिनांक 21.12.18 को नोटिस दिया गया तथा दूसरी ही पेशी दिनांक 05.03.18 को ही इकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया है तथा उसमे अपीलांटस के आबाद मकान पर नोटिस चस्पा करके तामील करना बताया है। जबकि प्रकरण मे चस्पानगी का कोई आदेश नही है न ही तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट मे भी किसी भी मौतबिर के नाम पते, हस्ताक्षर कुछ भी नही है केवल मात्र आबाद मकान पर चस्पा करना बताकर मात्र औपचारिकता पूरी करते हुए तामील बताने का प्रयास किया है जबकि विधि प्रक्रिया अनुसार आसामी घर पर नही मिलने की रिपोर्ट दो मौतबिर के रूबरू तैयार की जाती है उसके पश्चात चस्पानगी का आदेश होने के बाद ही नोटिस चस्पा किया जाता है तत्पश्चात तामील मानी जा सकती है जबकि प्रकरण हाजा मे ऐसी कोई प्रक्रिया नही अपनाई है जिससे अपीलांटस जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने व जवाब आदि पेश करने से वंचित रहे है उनकी पीठ पीछे आदेश जैर अपील पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पारित करवाया होने से विधि सम्मत नही है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–वास्तविक स्थिति यह है कि खसरा नं. 29 गै.मु. गोवा जो बताया है वह रास्ता के रूप मे काम आने वाली जमीन है तथा रास्ता मौके पर पीढियो से जहां चलता है उसी स्थान पर आज दिन बिना किसी रूकावट के निर्बाध रूप से चालू है तथा रास्ते की भूमि पर अपीलांटस का कब्जा होने व रास्ता

अतिरिक्त कलक्टर
नागौर (राजस्थान)

अवरूद्व होने की किसी भी ग्रामवासी या खातेदारो की कोई शिकायत भी नही है न ऐसी कोई शिकायत का हवाला आदेश मे है न ही पत्रावली मे ऐसी कोई शिकायत है है पटवारी ने केवल मात्र अपीलांटस से नाराजगी रखने वाले कुछ लोगो की सिखावट मे आकर अपीलांटस को अनावश्यक रूप से तंग परेशान करने के लिये मिथ्या रिपोर्ट पेश करवायी है व ऐसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना आदेश पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है।

{2}(IV)–अपीलांटस की सहखातेदारी का खेत खसरा नं. 31 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा मौजा खारिया मे स्थित रहता चला आया है जिसमे अपीलांटस व अपीलांटस के भाई हरलाल, सुरजाराम, मूलाराम की सहखातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा सभी सहखातेदारो का उक्त खसरा नं. 31 पर कब्जा काश्त रहता चला आया है व खसरा नं. 31 का सहखातेदारो के मध्य अभी तक भौतिक विभाजन सक्षम न्यायालय से नही हुआ है जो राजस्व रेकर्ड से साबित है इसके बावजूद किसी खसरे विशेष के सहखातेदारो मे से कुछ सहखातेदारो के विरूद्व इस तरह की रिपोर्ट करना व उसको आधार मानकर बिना सहखातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये व सभी सहखातेदारो को नोटिस दिये बिना व मौके की जांच आदि किये बिना ऐसा आदेश पारित करना विधि सम्मत नही है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील विधि विरूद्व पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(V)–प्रकरण हाजा मे पटवारी के सशपथ बयान भी नही हुए है जबकि ऐसी रिपोर्ट होने पर पटवारी के बयान करवाना व पटवारी से गैर सायलान को जिरह का अवसर दिया जाना व गैर सायलान से जवाबदेही लेकर उसके पश्चात ही कोई विधि सम्मत आदेश पारित किया जा सकता था मगर प्रकरण हाजा मे ऐसी कोई विधिक प्रक्रिया नही अपनायी है एकाएक दूसरी पेश पर ही तामील चस्पानगी से मानकर दो सहखातेदारो का कथित सरकारी भूमि गोवा पर तारबंदी व पटिटयो से कब्जा मानकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है।

{2}(VI)–अपीलांटस व सहखातेदारो ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 31 को सुरक्षित करने के लिये पुराने समय से खातेदारी की भूमि की सीमा पर ही पटिटया व तारबंदी कर रखी है तथा उसके उत्तर मे आम रास्ता की भूमि पीढियो से रहती चली आयी है व उसी नाप चोप अनुसार आज दिन रास्ता मौके पर चल रहा है ऐसी सूरत मे अपीलांटस का कथित रास्ता की भूमि पर कब्जा होना नही माना जा सकता है जिससे भी आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–पटवारी ने आनन फानन मे उक्त मिथ्या रिपोर्ट करवा कर जल्दबाजी मे एक बार बेदखली का आदेश करवा कर उसके पश्चात पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताकर रिपोर्ट करने व उसके आधार पर सिविल कारावास आदि का आदेश करवाने की बदनियति से सारी कार्यवाही की गयी है जबकि उक्त खसरा नं. 29 गोवा के चिपती ही आबादी भूमि खसरा नं. 28 आयी हुई है जिसमे कई लोगो के पटटे जारी हो रखे है तथा पटटासुद जायगा पर कई लोगो ने अपनी जायगा पर पटिटया रोप कर तारबंदी कर रखी है ऐसी सूरत मे केवल मात्र अपीलांटस के विरूद्व इस तरह की झूठी रिपोर्ट करने का पटवारी को कोई अधिकार नही था, तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति का अवलोकन व जांच किये बिना तहसीलदार ने जल्दबाजी मे आदेश जेर अपील पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

{2}(VIII)–प्रकरण हाजा मे ऐसी रिपोर्ट पेश करने से पूर्व पटवारी ने मौके पर आकर खसरा नं. 29 व आबादी भूमि खसरा नं. 28 का कोई नाप चोप किये बिना ही अपीलांटस से राजनेतिक रंजिश रखने वाले लोगो की सिखावट मे आकर यह मिथ्या रिपोर्ट पेश की है मौके पर अपीलांट का कब्जा अतिक्रमण नही है ऐसी सूरत मे आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा खारिया में स्थित गै.मु. गोवा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके खारिया के खसरा नंबर 29 गै.मु. गोवा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोवा है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। मौके पर दिनांक 24.08.20 को तहसीलदार मुण्डवा के अधीन टीम द्वारा मौके की पैमाईश कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार भी खसरा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

नं. 29 गे.मु. रास्ता भूमि पर खसरा नं. 31 के खातेदारान भेराराम, मूलाराम वगैरा का मौके पर आंशिक अतिक्रमण पाया गया है तथा रास्ता मौके पर रेकर्ड अनुसार अवरूद्व किया हुआ होना पाया गया है। इस प्रकार अपीलांट्स का आराजी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया जाना दस्तावेजी आधार से साबित है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर